न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 33/2025 राजस्व अपील

1. भीम
2. रघुराज
3. पृथ्वीराज
4. नंगू

पिसरान रामप्रसाद समस्त जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 19.09.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भीम आदि मु. नं. 51/2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांकः 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सलेमपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट्स ने संवत 2082 में खसरा नम्बर 399 रकबा 0.35 है0 भूमि किस्म गै0मु0 नाला ग्राम सलेमपुर पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया व नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को अपीलान्ट रघुराज ही उपस्थित हुआ, शेष अपीलांट्स न तो उपस्थित हुए और न ही उनके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कथन ही किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ने अतिक्रमी रघुराज उपस्थित हुआ व अतिक्रमण स्वीकार किया लिखते हुए अपीलांट्स के पीछे से निर्णय पारित कर दिया व अपीलांट्स को 30 दिवस का कारावास व पैनल्टी से दंडित करने के अवैध आदेश दिनांक 19.09.2025 पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नही किया कि कौनसा अपीलांट्स उपस्थित हुआ और कौनसे अपीलांट्स ने अतिक्रण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को न तो जवाब का मौका दिया और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत व निर्णय न होने के बावजूद भी अपीलांट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की

अति. जिला कलक्टर
दौसा

पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांट्स के समक्ष नही हुये और न ही अपीलांट्स को जिरह का कोई अवसर दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नही हुई है। प्रदर्शित हुये बिना उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहयोग्य नही थी। जिसके आधार पर किया गया निर्णय कतही अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2025 निरस्त फरमावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमावे कि अपीलांट्स को को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः निर्णय पारित करे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत् 2082 में प्रश्नगत भूमि किस्म गै. मु. नाला पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट्स को नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट रघुराज अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा शेष अपीलांट्स बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में भी संवत 2081 में भी अतिक्रमण किया गया था जिसकी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमी को पूर्व में बेदखल किया गया था। लेकिन अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 19.09.2025 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सलेमपुर द्वारा ग्राम सलेमपुर स्थित भूमि खसरा नं. 339 रकबा 0.35 हैक्टेयर किस्म गै. मु. नाला पर बाजार की काश्त कर अतिकमण होना अंकित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सलेमपुर के खसरा नं. 399 रकबा 0.35 हैक्टयर पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रण करना अंकित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2025 में खसरा नंबर में भिन्नता होना पाया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर एवं प्रश्नगत भूमि के खसरा नम्बर की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

23/3/26
(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/26
(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा